उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-08/2016/271/92-2-16-15जॉच/2015

लखनऊ:: दिनांक:: 04 फरवरी,2016

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-हमीरपुर में प्रभारी अधिशासी अभियंता के रूप में कार्यरत रहते हुये श्री शिवस्वरूप ओमरे की वर्कचार्ज चतुर्थ श्रेणी (कोर्टकेस) के रूप में की गयी अनियमित नियुक्ति के लिये प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1697/62-3-2010-105आरई/2010, दिनांक 21-09-2010 द्वारा श्री धीरेन्द्र सहाय तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-हमीरपुर के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल- इलाहाबाद को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। कालान्तर में श्री धीरेन्द्र सहाय के सेवानिवृत्ति के द्रष्टिगत उक्त संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-11/2015/1635/92-2-2015-15जांच/2015, दिनांक 26-11-2015 द्वारा सी0एस0आर0 के नियम-351ए में परिवर्तित किया गया।

2- उक्त अनुशासनिक कार्यवाही में जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-इलाहाबाद की जॉच आख्या उनके पत्र दिनांक 15-12-2011 द्वारा शासन में उपलब्ध करायी गयी। जॉच अधिकारी की जॉच आख्या में श्री धीरेन्द्र सहाय के विरूद्व अधिरोपित कतिपय आरोप स्थापित पाये गये। अतएव शासन के पत्र दिनांक 31-01-2012 तदक्रम में पत्र दिनांक 20-04-2012 द्वारा जॉच अधिकारी की जॉच आख्या में स्थापित आरोपों के संबंध में उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन मांगा गया। पुन: शासन के पत्र दिनांक 30-03-2015 द्वारा अपचारी अधिकारी, श्री धीरेन्द्र सहाय से अनुरोध किया गया कि यदि उनके द्वारा अपना अभ्यावेदन शासन में प्रेषित किया गया हो तो उसकी छायाप्रति, अन्यथा की स्थिति में अपना अभ्यावेदन शासन में उपलब्ध करायें। अपचारी अधिकारी,श्री धीरेन्द्र सहाय द्वारा अभ्यावेदन उपलब्ध न कराये जाने/कोई सूचना प्रेषित न किये जाने पर शासन के पत्र दिनांक 17-6-2015, 14-07-2015, 12-08-2015 द्वारा अभ्यावेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुस्मारित कराया गया, किन्तु अपचारी अधिकारी, श्री सहाय द्वारा न तो अपना अभ्यावेदन शासन में उपलब्ध कराया गया और न ही इस संबंध में कोई सूचना ही उपलब्ध करायी गयी।

3- तत्पश्चात शासन के पत्र दिनांक 03-09-2015 द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ से अनुरोध किया गया कि श्री धीरेन्द्र सहाय द्वारा श्री शिवस्वरूप ओमरे की अनियमित नियुक्ति के फलस्वरूप शासन पर पडे वित्तीय भार की गणना वित्त नियंत्रक से कराकर सूचना शासन में उपलब्ध कराये, जिसके क्रम में निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 04-09-2015 द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अवगत कराया गया कि श्री शिवस्वरूप ओमरे की अनियमित नियुक्ति के फलस्वरूप शासन/विभाग पर रू0 5,30,616.00 का वित्तीय भार पडा है।

4- अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित आरोप, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या, शासकीय क्षति के संबंध में निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दि0 04-09-2015 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त शासन द्वारा श्री शिवस्वरूप ओमरे की वर्कचार्ज (चतुर्थ श्रेणी) के रूप में की गयी अनियमित नियुक्ति के कारण कारित शासकीय क्षति रू0 5,30,616;00 की वसूली अपचारी अधिकारी, श्री सहाय के विभिन्न सेवानैवृत्तिक देयकों यथा-ग्रेच्युटी, पेंशन इत्यादि से किये जाने के विनिश्चित दण्ड पर शासन के पत्र दिनांक 02-12-2015 द्वारा लोक सेवा आयोग की सहमति मांगी गयी।

5- लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 05-01-2016 द्वारा अपचारी अधिकारी के विरूद्व प्रस्तावित दण्ड पर आयोग ने अपनी सहमति निम्नवत प्रदान की गयी है :-

" श्री धीरेन्द्र सहाय, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-हमीरपुर के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में श्री शिवस्वरूप ओमरे की वर्कचार्ज (चतुर्थ श्रेणी) के रूप में की गयी अनियमित नियुक्ति के कारण कारित शासकीय क्षति रू0 5,30,616.00 (रू0 पॉच लाख तीस हजार छः सौ सोलह) की वसूली अपचारी अधिकारी, श्री सहाय के विभिन्न सेवानैवृत्तिक देयकों यथा- ग्रेच्युटी, पेंशन इत्यादि से की जाय।"

6- अतएव शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21-09-2010 द्वारा श्री धीरेन्द्र सहाय, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-हमीरपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही, जिसे कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26-11-2015 द्वारा सी0एस0आर0 के नियम-351ए में परिवर्तित किया गया है, को एतदद्वारा निम्नवत दण्ड प्रदान करते हुये समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते है :-

" श्री धीरेन्द्र सहाय, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-हमीरपुर के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही में श्री शिवस्वरूप ओमरे की वर्कचार्ज (चतुर्थ श्रेणी) के रूप में की गयी अनियमित नियुक्ति के कारण कारित शासकीय क्षति रू0 5,30,616.00 (रू0 पॉच लाख तीस हजार छः सौ सोलह मात्र) की वसूली अपचारी अधिकारी, श्री सहाय के विभिन्न सेवानैवृत्तिक देयकों यथा-ग्रेच्युटी, पेंशन इत्यादि से की जाय।"

श्री राज्यपाल के आदेश से,

(डॉ0 प्रभात कुमार)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 08/2016/271(1)/92-2-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री धीरेन्द्र सहाय, तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-हमीरपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त, द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, (स्था0-1) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद को आयोग के पत्र सं0-112/06/एडीसी/एस-12/2015-16 दिनांक 05-01-2016 के संदर्भ में सूचनार्थ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबूराम)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।